न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 394 सन 2021

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र शंकरलाल जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. महेन्द कुमार पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. राजकुमार पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. मनीराम पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. विजय कुमार पुत्र मातुराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. राहूल पुत्र मातूराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. कमला पत्नी मातूरराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. पंकज पुत्र मातु जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. राजबाला पुत्री मातुराम जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. भंवरी पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. फुला पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. कमलेश पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 499 के खसरा न0 359 की 1.2140हैक खसरा न0 361 की 2.845हैक खसरा न0 366 की 5.6910हैक खसरा न0 371 की 2.8580हैक खसरा न0 376 की 3.3510हैक खसरा न0 980/1124 की 3.7940हैक कुल 19.7530हैक एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के दादा एवं उसके भाईया के मध्य अन्य भूमियों के साथ बाहगी बटवारा होने पर वाद भूमि प्राप्त हुई जो प्रतिवीद संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,मृतक मातूराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहगी बटवारा कर लिया है अपने बाहगी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता/दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि जिसे बाहगी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता अमरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 499 के खसरा न0 359 की 1.2140हैक खसरा न0 361 की 2.845हैक खसरा न0 366 की 5.6910हैक खसरा न0 371 की 2.8580हैक खसरा न0 376 की 3.3510हैक खसरा न0 980/1124 की 3.7940हैक कुल 19.7530हैक एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा अमरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के दादा एवं उसके भाईया के मध्य अन्य भूमियों के साथ बाहमी बटवारा होने पर वाद भूमि प्राप्त हुई जो प्रतिवीद संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि विरासतन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,मृतक मातूराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 499 के खसरा न0 359 की 1.2140हैक खसरा न0 361 की 2.845हैक खसरा न0 366 की 5.6910हैक खसरा न0 371 की 2.8580हैक खसरा न0 376 की 3.3510हैक खसरा न0 980/1124 की 3.7940हैक कुल 19.7530हैक एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग एव उससे पूर्व की जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि अमरूराम वल्द मंगनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के

Scanned with CamScanner

दादा अगरूराम वल्द मंगनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा अगरूराम वल्द मंगनाराम के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का 8त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 499 की कुल 19.7530हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक भू जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में निम्नप्रकार से धोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 359 की 1.214हैक , खसरा न0 361 की पश्चिमी पासा की 1.6273हैक तथा खसरा न0 371 की पूर्वी तरफ की 1.1093हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 मनीराम रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 361 की पूर्वी पासा की 1. 2177हैक खसरा न0 366 की पश्चिमी पासा की 1.6716हैक खसरा न0 980/1124 की 1.0613हैक जिसके उत्तर में विजय आदि व दक्षिण में देवीलाल है कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

वादी देवीलाल रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 366 की मनीराम के पूर्वी तरफ 1.072हैक खसरा न0 980/1124 की निचे दक्षिणी पासा की 1.0120हैक खसरा न0 376 की पश्चिमी 1. 8666हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 राजकुमार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 376 के पूर्वी पासा की 1. 4844हैक खसरा न0 366 की पूर्वी पासा की 0.4174हैक व इसके चिपते हुए ही खसरा न0 371 की पश्चिमी पासा की 1.0034हैक खसरा न0 980/1124 की उतरी तरफ की 1.0454हैक कुल 3. 9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 980/1124 की राजकुमार से दक्षिण की तरफ 0.6753हैक खसरा न0 366 की दक्षिणी पासा की भूमि 0.2530हैक तथा इसके चिपते खसरा न0 371 की 0.7453हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के पास रोही मोजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4. 8050हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र शंकरलाल जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र गैराराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र गैरारम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. राजकुमार पुत्र गैराराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. मनीराम पुत्र गैराराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. विजय कुमार पुत्र मातुराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. राहूल पुत्र मातूराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. कमला पत्नी मातूरराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. पंकज पुत्र मातु जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. राजबाला पुत्री मातुराम जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. भंवरी पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. फुला पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. कमलेश पुत्री शंकरलाल जाति नाई निवारी मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 394 सन 2021 निर्णय दिनांक– 04/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेसेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 499 की कुल 19.7530हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक भू जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में निम्नप्रकार से घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 359 की 1.214हैक, खसरा न0 361 की पश्चिमी पासा की 1.6273हैक तथा खसरा न0 371 की पूर्वी तरफ की 1.1093हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 मनीराम रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 361 की पूर्वी पासा की 1.2177हैक खसरा न0 366 की पश्चिमी पासा की 1.6716हैक खसरा न0 980/1124 की 1.0613हैक जिसके उत्तर में विजय आदि व दक्षिण में देवीलाल है कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

वादी देवीलाल रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 366 की मनीराम के पूर्वी तरफ 1.072हैक खसरा न0 980/1124 की निचे दक्षिणी पासा की 1.0120हैक खसरा न0 376 की पश्चिमी 1.8666हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 राजकुमार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 376 के पूर्वी पासा की 1.4844हैक खसरा न0 366 की पूर्वी पासा की 0.4174हैक व इसके चिपते हुए ही खसरा न0 371 की पश्चिमी पासा की 1.0034हैक खसरा न0 980/1124 की उतरी तरफ की 1.0454हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 980/1124 की राजकुमार से दक्षिण की तरफ 0.6753हैक खसरा न0 366 की दक्षिणी पासा की भूमि 0.2530हैक तथा इसके चिपते खसरा न0 371 की 0.7453हैक कुल 3.9506हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के पास रोही मोजा चैनपुरा के खाता संख्या 170 की कुल 4.8050हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner